न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 06 / 2024

श्री वीर तेजाजी गौ सेवा समिति सुरसुरा जरिये वर्तमान अध्यक्ष श्री उगमाराम जाजड़ा पुत्र श्री छोटूराम जाजड़ा, निवासी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

......................*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ

...........रेस्पोडेन्ट

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1– श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2– नायब तहसीलदार अजमेर–प्रथम पैरोकार सरकार।

–: आदेश :–

दिनांक–07.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि संवत् 2070 में श्री हरिप्रसाद जाजड़ा, वीर तेजाजी गौ सेवा समिति, सुरसुरा तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम सुरसुरा के आराजी खसरा नम्बर 565 / 2097 रकबा 50–00–00 बीघा किस्म खलिहान में से रकबा 04–10–00 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से दीवार बनाकर व अर्द्धनिर्मित कमरों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्ध राजस्व प्रकरण संख्या 23 / 2013 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 04.09.2013 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार विवादित भूमि से अतिक्रमी की बेदखली व शास्ति कायम की गई। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 04.09.2013 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकॉर्ड मंगवाया गया। रेस्पोन्डेन्ट जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।

पैरोकार सरकार द्वारा मियाद के बिंदु पर एतराज दर्ज नहीं करवाये जाने के कारण न्यायहित में मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को कंडोन करने के पश्चात हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर दिनांक 19.08.2013 को प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी कर दिनांक 04.09.2013 नियत की एवं इसी दिनांक को अपीलान्ट को साक्ष्य, सबूत व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अतिक्रमी घोषित कर विवादित आराजी से बेदखल करने व शास्ति आरोपित किये जाने का एकतरफा आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट द्वारा विधिक प्रक्रिया के तहत जवाब व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किये जाने से परिवादी होने के कारण भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य लिपिबद्ध की जाकर रिपोर्ट को प्रदर्शित करवाया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धांत है किन्तु विधिक प्रावधानों व प्रक्रिया की पालना नहीं कर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। आक्षेपीय आदेश के अन्तर्गत किये गये विवेचन व विश्लेषण में कहीं भी किसी भी प्रकार से उल्लेख नहीं किया गया है कि विवादित आराजी पर कितने समय पूर्व व किस प्रकार से अतिक्रमण/निर्माण किया गया है एवं किस आधार पर अतिक्रमी घोषित किया गया है। फलस्वरूप आक्षेपीय आदेश कारण रहित व नॉन स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में आता है। उनका आगे कथन है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपीलान्ट को उनके विरूद्ध उक्त पत्रावली संधारण की जानकारी देकर हस्ताक्षर कर जाने के लिये कहा गया। अपीलान्ट द्वारा प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में अपने विरूद्ध किसी भी प्रकार की स्वीकारोक्ति प्रदान नहीं की गई थी। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस जारी रखते हुए कथन किया कि विवादग्रस्त आराजी पर कई वर्षों से गौशाला निर्मित है जिसमें असंख्य गायें रखी जाती है। वीर तेजाजी गौ सेवा समिति के द्वारा लावारिस घूमती एवं बीमार व दुर्घटनाग्रस्त गायों को लाकर उनकी सेवा व उपचार तथा देखभाल गौशाला के सदस्यों द्वारा किया जाता है। उक्त सेवा समिति गायों की सेवार्थ कार्य कर रही है। वर्तमान में भी आराजी का उपयोग उपभोग गौ सेवा सम्बन्धी कार्यों में ही किया जा रहा है एवं किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिये उपयोग उपभोग नहीं किया जाकर जन हितार्थ एवं लोक कल्याण के लिये किया जा रहा है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कीजकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर विवादित आराजी का आवंटन श्री वीर तेजाजी गौ सेवा समिति सुरसुरा के पक्ष में किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जबाव में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा सिवायचक भूमि पर अनाधिकृत रूप से दीवार बनाकर व अर्द्धनिर्मित कमरों का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है एवं आदेश पारित करने में किसी प्रकार की भूल नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी कई वर्षों से अपीलान्ट के कब्जे में चली आ रही है एवं मौके पर गौशाला निर्मित होकर श्री वीर तेजाजी गौ सेवा समिति के नाम से संचालित की जा रही है जिसमें असंख्य गौवंश रखा जाता है। श्री वीर तेजाजी गौ सेवा समिति के सदस्यों द्वारा विवादित आराजी में संचालित गौशाला में लावारिस, बीमार एवं दुर्घटनाग्रस्त गायों का उपचार, देखभाल व उनकी सेवा की जाती है। उक्त समिति द्वारा प्रश्नगत आराजी का व्यक्तिगत हितार्थ उपयोग उपभोग नहीं किया जाकर जन हितार्थ एवं लोक कल्याण के लिये किया जा रहा है। साथ ही

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट नियत पेशी दिनांक 04.09.2013 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए हैं जिसकी पुष्टि आदेशिका पर अंकित उनके हस्ताक्षर से होती है एवं उसी दिनांक को आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट को साक्ष्य, सुनवाई व दस्तावेज आदि प्रस्तुत करने का समुचित एवं पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं होकर विधिक प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 07.03.2024 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

7/3/24

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर